सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

वाद संख्या: 2018/378 दायर दिनांक 24.12.2018

वादी		प्रतिवादी
1. नवरत्न पुत्र मालाराम, उम्र 19 वर्ष, जाति जाट, निवासी आजवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

(अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0 टी0 एक्ट0)

उपस्थित :-

1. हीरसिंह बलारा,एडवोकेट व रणजीत बलारा अधिवक्ता वादी की ओर से।

-:: निर्णय ::- दिनांक 26.12.2018

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खेत खसरा संख्या 111 रकबा 0.05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा संख्या 239 रकबा 22.10 बीघा, कुल 22.15 बीघा, वाके आजवा स्थित है, जिसमें वादी नवरत्न उसकी माँ व भाई का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है, जमाबन्दी की नकल प्रदर्श-1 है, तथा उक्त खेतो की खातेदारी में वादी नवरत्न के नाम के अंकन की बजाय जितेन्द्र सहव से दर्ज हो गया, जबकि वादी का सही नाम नवरत्न है तथा उसके पारिवारिक राशन कार्ड, आधार कार्ड, 10 वी की मार्क सीट, 12 वी की मार्क सीट व बैंक की पास बुक आदी सभी जगह नवरत्न पुत्र मालाराम नाम दर्ज है, सभी दस्तावेजो की नकले वाद के साथ पेश है। उक्त खेतो की खातेदारी में वादी के नाम का गलत अंकन हो जाने के कारण सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में अड़चने आने लग गयी है, वादी अपने नाम के गलत अंकन को सही करवाना चाहता है, जिसका वह कानूनन हकदार है, अतः वादी को अपने नाम की दुरुस्ती करने बाबत यह दावा करना लाजमी आया है। उक्त खेतो के खातेदारो की खातेदारी यथावत रहेगी, और उनके खिलाफ कोई सहायता नहीं चाही है, और ना ही उनकी भूमि कम होनी है, इसलिये श्रीमान तहसीलदार को पक्षकार बनाया जाकर यह दावा पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी की नकल सम्वत् 2071 से 2074 प्रदर्श–1 है, गिरदावरी प्रदर्श –2 है, कक्षा 10 की अंक तालिका प्रदर्श –3 है, कक्षा 12 की अंक तालिका प्रदर्श –4 है, वादी का आधार कार्ड प्रदर्श –5 है, परिवार कार्ड प्रदर्श –6 है।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

वादी वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहा है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद आजवा में स्थित खेत खसरा संख्या 111 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 239 रकबा 22.10 बीघा, भूमि में जितेन्द्र पुत्र मालाराम की जगह नवरत्न पुत्र मालाराम दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :— सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2018/378 दायर दिनांक 26.12.2018

वादी		प्रतिवादी
1. नवरत्न पुत्र मालाराम, उम्र 19 वर्ष, निवासी आजवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत् 136 लेण्ड रेवन्यु एक्ट

दिनांक :— 26.12.2018

यह मुकद्दमा आज ववास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि है दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा आजवा के खेत खसरा संख्या 111 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 239 रकबा 22.10 बीघा, भूमि में जितेन्द्र पुत्र मालाराम की जगह नवरत्न पुत्र मालाराम दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........—...........मुबलिंग............मुबलिंग...........—..............बाबत.............—............. खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....—........... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 26.12.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner